

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.  
प्रकरण सं० :- 750/2018 (124/2018)  
दायर दिनांक :- 04.07.2018

अनवान

श्रीमति दुर्गा बाई पुत्री गोपाल बलाई पत्नि हेमराज बलाई नि. शक्करगढ हाल  
लिलेडा व्यासान तह. तालेडा

वादी.....

बनाम

1. श्रीमति छोटी बाई पत्नि भगवान बलाई नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
2. श्री भगवान पुत्र नारायण बलाई नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर
4. उप पंजियक जहाजपुर तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::


उपस्थित अभिभाषक

श्री जाकिर हुसैन, एडवोकेट वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 08.08.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम शक्करगढ प. ह. शक्करगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 1387, 1399, 1390, 1391, 1425, 1426 कुल कित्ता 06 रकबा 09-05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीया के पूर्वजों की भूमि है। वादीया द्वारा करीबन 2 वर्ष 6 माह पूर्व ग्राम लिलेडा व्यासान के हेमराज नामक व्यक्ति से नाता विवाह कर लिया था। वादीया के नाता विवाह करने के समय से ही वादीया का पिता गोपाल पुत्र मोडा वादीया के ताउ के पुत्र भगवान पुत्र नारायण के पास ही रहकर अपना निर्वाह कर रहा था क्यो कि वादीया की मां का पूर्व में देहान्त हो चुका है। तथा वादीया अपने पिता की एक मात्र सन्तान है वादीया के अलावा वादीया के कोई सगा भाई बहन नही होने से वादीया का पिता गोपाल पुत्र मोडा वादीया के ताउ के पुत्र भगवान के पास निवास कर रहा था। वादीया के नाता विवाह करने के पश्चात से ही वादीया का पिता गोपाल बिमार रहने लग गया था तथा वादीया के पिता के समस्त असल दरतावेज भी वादीया के ताउ के पुत्र भगवान के पास ही रखे थे तथा वादीया के पिता के 1/2 हिस्से की वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि को भी प्रतिवादी सं. 2 ही काश्त करता था। तथा उसरो मिलने वाली उपज रो वादीया के पिता गोपाल की देखभाल करता था। वादीया के ससुराल चले जाने तथा वादीया के पिता की बिगारी व कमजोर शारिरिक अवरथा का नाजायज फायदा उठाने की नियत से प्रतिवादी सं. 1 व 2

  
सहायक कलक्टर  
जहाजपुर (भीलवाडा)

ने वादीया के पिता के हिस्से की कृषि भूमि को हड़पने की नियत से आपराधिक शडयंत्र बनाकर वादीया के पिता की बिमार व शारिरिक कमजोरी का फायदा उठाते हुये दिनांक 11.02.2016 को वादीया के पिता गोपाल को झूठा बहाना बनाकर की तुम्हारा इलाज करवाने के लिये रूपयो की आवश्यकता होने से तुम्हारी हिस्से की कृषि भूमि पर लोन लेना है उसके लिये तुम्हे हमारे साथ तहसील में चलना पडेगा। प्रतिवादीया 1 से 2 के द्वारा वादीया के पिता निजी वाहन से बिमार अवस्था में ले जाकर दिनांक 11.02.2016 को वादीया के पिता गोपाल से अवैध बेचाननामा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में निष्पादित करवाकर पंजिबद्ध करवा लिया। बेचान पेटे वादीया के पिता को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भी अदा नही किया तथा न ही प्रतिवादीगण ने वादीया को उक्त अवैध बेचान नामे की सूचना दी। बेचान नामा दिनांक 11.02.2016 को अवैध फर्जी व कूटरचित होने से शून्य प्रभावी होने से वादीया निरस्त करवाने की अधिकारी हैं वादीया का पिता गम्भीर बिमारी से ग्रसित होने की वजह से उक्त अवैध फर्जी व कूटरचिज विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज तरीके से पंजिबद्ध करवाने के करीबन 2 माह के पश्चात दिनांक 10.04.2016 को मृत्यु हो गई। तब उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 2 द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिसे वादीया वेदखल करवाने की अधिकारी हैं वादीया के पिता गोपाल की मृत्यु के समय जब वादीया अपने पिता के घर ग्राम शक्करगढ गई तब प्रतिवादीगण 1 से 2 ने वादीया से कहा की तुम्हारे पिता के अंतिम कार्यक्रम के पश्चात मिल बैठकर तुम्हारी जमीन तुम्हे सम्मला देगें। वादीया के पिता के अंतिक्रम कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात व वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 से 2 से अपनी जमीन के देने के लिये कहा तो प्रतिवादी सं 1 से 2 ने कहा की तुम्हे अभी जमीन की ब्या आवश्यकता है हम फसल पैदा करके तुम्हारा हिस्सा तुम्हे दे देगे। प्रतिवादीगण करीबन एक वर्ष तक वादीया को उसकी उपज के रूपये देते रहे। वादीया द्वारा जनवरी 2018 में पहला पटवारी से अपने पिता की कृषि भूमि में फोती इन्तकाल खुलवाकर अपना नाम दर्ज करवाने के लिये व खाते की नकल ली तब वादीया को प्रथम बार यहा जानकारी हुई की वादीया के पिता के हिस्से की कृषि भूमि को अवैध व फर्जी तरीके से प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है तब वादीया ने प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये अवैध व फर्जी विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब वादीया को यह ज्ञान हुआ की वादीया के पिता के हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादीगण ने मिलिभगत करके फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया है जब कि वादीया ने प्रतिवादी को उक्त फर्जी विक्रय पत्र के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीया से कहा की अब तुम्हारी जमीन हमारी हो चुकी है। अब तुम्हारा यहा कोई अधिकार नही है अब वर्तमान में उक्त वर्णित कृषि भूमि पर हमारा कब्जा है और हमारा ही रहेगा। जो तुमसे हो सके वह कर लो। कृषि भूमि हमारे खाते व कब्जे में इसलिये हम इसे अन्य को रहन बय करके रहेगे। वादीया स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 1 से 2 को पांबद कराने की अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 से 2 विवादित भूमि को दौराने वाद अन्य

को रहन बय नहीं करें। विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से वादीया को अधिकारी प्राप्त है कि वह प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध भूमि बेदखली की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेदखल करावें। वादीया को माह जनवरी 2018 में धोखे से भूमि हडपने का ज्ञान होने पर ओलमा देने प्रतिवादीगण के पास जाने तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा वादीया की विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने तथा उसके बाद हर क्षण वाद कारण पैदा हो रहा है। इसलिये यहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण वादीया का वाद डिकी फरमाकर वर्णित भूमि में वादीया के पिता के हिस्से 1/2 में वादीया के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर इस भूमि से संबधित विक्रय विलेख को शून्य प्रभावी घोषित कर निरस्त करे तथा इसी हद तक खातेदारी अमल विलोपित कर वादीया का नाम विवादित भूमि में दर्ज खाता फरमाया जावे। एवं कब्जा भूमि वादीया को दिलवाया जाने की डिकी फरमाई जावे। वजर्ये व आज्ञा प्रतिवादी सं. 1 को रथायी एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की प्रतिवादीगण दौराने वाद विवादित भूमि अन्य को रहन बय नहीं करें की डिकी वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 बावजूद सुचना के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 327 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 प्रदर्श 1, वादी के पिता गोपाल का असल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3, सेंटलमेन्ट के समय खसरा सम्वत 2015-2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4, प्रदर्श 5, प्रदर्श 6 पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में दुर्गा बाई पी डब्ल्यु 1, रूकमणी देवी पी डब्ल्यु 2 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीया के पूर्वजों की भूमि है। वादीया के नाता विवाह करने के समय से ही वादीया का पिता गोपाल पुत्र मोडा वादीया के ताउ के पुत्र भगवान पुत्र नारायण के पास ही रहकर अपना निर्वाह कर रहा था क्यो कि वादीया की मां का पूर्व में देहान्त हो चुका है। तथा वादीया अपने पिता की एक मात्र सन्तान है वादीया के अलावा वादीया के कोई सगा भाई बहन नहीं होने से वादीया का पिता गोपाल पुत्र मोडा वादीया के ताउ के पुत्र भगवान के पास निवास कर रहा था। वादीया के पिता के समस्त असल दस्तावेज भी वादीया के ताउ के पुत्र भगवान के पास ही रखे थे तथा वादीया के पिता के 1/2 हिस्से की वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि को भी प्रतिवादी सं. 2 ही काशत करता था। वादीया के ससुराल चले जाने तथा वादीया के पिता की बिमारी व कमजोर शारिरिक अवस्था का नाजायज फायदा उठाने की नियत से प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीया के पिता के हिस्से की कृषि भूमि को हडपने की नियत से आपराधिक शडयंत्र बनाकर वादीया के पिता की बिमार व शारिरिक कमजोरी का फायदा उठाते हुये दिनांक 11.02.2016 को वादीया के पिता गोपाल को झूठा बहाना बनाकर की तुम्हारा इलाज करवाने के लिये रूपयो की आवश्यकता होने से तुम्हारी हिस्से की कृषि भूमि पर लोन लेना हैं उसके लिये तुम्हे हमारे साथ तहसील में चलना पडेगा। प्रतिवादीया 1 से 2 के द्वारा वादीया के पिता गोपाल से अवैध बेचाननामा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में निष्पादित करवाकर पंजिबद्ध करवा

Du  
सहायक कलेक्टर  
नवानपुर (भीमनाड़ा)

लिया। बेचान पेटे वादीया के पिता को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भी अदा नहीं किया तथा न ही प्रतिवादीगण ने वादीया को उक्त अवैध बेचान नामों की सूचना दी। वादीया का पिता गम्भीर बिमारी से ग्रसित होने की वजह से उक्त अवैध फर्जी व कूटरचिज विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज तरीके से पंजिवद्ध करवाने के करीबन 2 माह के पश्चात दिनांक 10.04.2016 को मृत्यु हो गई। जब वादीया अपने पिता के घर ग्राम शक्करगढ गई तब प्रतिवादीगण 1 से 2 ने वादीया से कहा की तुम्हारे पिता के अंतिम कार्यक्रम के पश्चात मिल बैठकर तुम्हारी जमीन तुम्हें सम्भला देंगे। वादीया के पिता के अंतिम कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात व वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 से 2 से अपनी जमीन के देने के लिये कहा तो प्रतिवादी सं. 1 से 2 ने कहा की तुम्हें अभी जमीन की क्या आवश्यकता है हम फसल पैदा करके तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। वादीया को प्रथम बार यहा जानकारी हुई की वादीया के पिता के हिस्से की कृषि भूमि को अवैध व फर्जी तरीके से प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है तब वादीया ने प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये अवैध व फर्जी विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब वादीया को यह ज्ञान हुआ की वादीया के पिता के हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादीगण ने मिलिभगत करके फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया है इसलिये वहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण वादीया का वाद डिकी फरमाकर वर्णित भूमि में वादीया के पिता के हिस्से 1/2 में वादीया के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर इस भूमि से संबंधित विक्रय विलेख को शून्य प्रभावी घोषित कर निरस्त करे तथा इसी हद तक खातेदारी अमल विलोपित कर वादीया का नाम विवादित भूमि में दर्ज खाता फरमाया जावे। एवं कब्जा भूमि वादीया को दिलवाया जाने की डिकी जारी कराना फरमावे।


मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी बन्दोबस्त 2015-16 प्रदर्श 4 से 6 के अनुसार विवादित कृषि आराजियात मोडा पिता बरदा बलाई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अतः विवादित आराजी गोपाल की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पुश्तैनी है। वादिया की और से वादिया के मृतक गोपाल बलाई की पुत्री होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है। जिससे वादिया यह सिद्ध करने में असफल रही है की वह मृतक गोपाल बलाई की पुत्री है और इस वजह से विवादित आराजी में उसको जन्म से ही कोई अधिकार प्राप्त थे। साथ ही वादिया द्वारा यह कथन किया गया है कि वादिया के नाता विवाह कर लेने के उपरान्त उसके पिता गोपाल प्रतिवादी भगवान के पास ही रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था और गोपाल बीमार रहने लग गया था। वादिया का आरोप है कि उसकी बिमारी का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने बिना कोई प्रतिफल अदा किये धोखे से प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में कूटरचित बेचान नामा निष्पादित करवा लिया। परन्तु वादिया के अधिवक्ता द्वारा उक्त तथाकथित अवैध पंजिकत बेचान नामों को सक्षम सिविल न्यायालय में शून्य प्रभावी घोषित कराने के लिये कोई चुनौती नहीं दी गई है। साथ ही यह भी संभव है कि मृतक गोपाल ने अपनी बीमारी के ईलाज के लिये सदभावी आवश्यकताओं के लिए उक्त विवादित आराजी का बेचान किया हो। एवं प्रतिवादी सं. 1 ने सदभावी क्रेता के तौर पर विवादित आराजी को खरीदा हो। क्योंकि स्वयं वादीया द्वारा वाद पत्र में स्वयं के नाता विवाह कर लेने के कारण मृतक गोपाल का प्रतिवादी सं. 2 के साथ रहना बताया है। एवं वादिया द्वारा मृतक गोपाल की बीमारी के समय उनकी देखभाल करने जैसा कोई भी कथन नहीं किया गया है। वादिया द्वारा मृतक गोपाल के जीवन काल में विवादित आराजी के पुश्तैनी भूमि होने के कारण स्वयं के खातेदारी घोषणा बाबत कोई वाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। मेरी विनम्र राय में कोई भी खातेदार अपनी सदभावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जमीन का विक्रय कर सकता है। उपरोक्तानुसार वादिया यह सिद्ध करने में

Dr  
 राजेश कलक्टर  
 बलपुर (विवादा)

असफल रही है कि वह मृतक गोपाल की पुत्री है। और प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने किसी प्रकार बिना कोई प्रतिफल लिये अवैध कुटरचित बेचाननामे के आधार पर विवादित आराजी में मृतक गोपाल का हिस्सा खरीदा हो। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को खारीज किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिव की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( दामोदर सिंह )

सहायक कलक्टर

जहाजपुर (भीलवाडी)

जहाजपुर (भीलवाडी)